

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

आदेश

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरसिद्धि ने अपने पत्रांक-81 दिनांक-18.09.2013 के द्वारा HPCL से प्राप्त एम्बुलेन्स के परिचालन हेतु एक चालक की प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया है।

अतः मैं, श्रीधर सी0, जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी बिहार गृह रक्षा वाहिनी अधिनियम 1947 की धारा-4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरसिद्धि में HPCL से प्राप्त एम्बुलेन्स के परिचालन हेतु तीन माह तक के लिए एक गृहरक्षक चालक की प्रतिनियुक्ति का आदेश देता हूँ।

गृहरक्षक के भत्ता आदि का भुगतान रोगी कल्याण समिति के मद से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरसिद्धि के द्वारा किया जाएगा।


६४/-

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक- 1319 /गो0, मोतिहारी, दिनांक- 23वीं सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरसिद्धि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।